



**BHOPAL SAHAKARI DUGDH SANGH.MARYADIT
BHOPAL (M.P)**

**E-TENDER
FOR**

Transportation of S.M.P. & White Butter

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT
BHOPAL (M.P.)

अल्पकालीन दुग्ध चूर्ण/श्वेत मक्खन परिवहन कार्य हेतु ई-निविदा

निविदा क्रं: 39

दिनांक 05.12.2019

एम.पी.सी.डी.एफ. की इकाई भोपाल दुग्ध संघ द्वारा कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात एवं महाराष्ट्र की डेयरियो से लगभग दुग्ध चूर्ण एवं श्वेत मक्खन का परिवहन किया जाना है। उक्त कार्य को करने के इच्छुक परिवहनकर्ता हेतु ऑन लाइन दरें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा फार्म क्रय, डाउनलोड एवं निविदा भरने की संपूर्ण कार्यवाही www.mptenders.gov.in पर संपादित की जा सकती हैं। निविदा का विस्तृत [विवरण/कार्य](#) एवं शर्ते कार्यालय की वेबसाईट www.mpcdf.gov.in पर देखी जा सकती हैं।

निविदा फार्म डाउन लोडिंग की प्रारंभ दिनांक व समय	निविदा दर भरने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा खुलने की दिनांक व समय	निविदा प्रपत्र की राशि रु0	वित्तीय निविदा खुलने की दिनांक, समय व स्थान
06.12.2019 11.00 AM	12.12.2019 03.00 PM	13.12.2019 03.00 PM	2000/-	13.12.2019 03.30 PM भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

अल्पकालीन निविदा प्रपत्र (ई-निविदा)

कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात एवं महाराष्ट्र की निम्नानुसार डेयरी संयंत्रो/गोडाउन से भोपाल सहकारी दुग्ध संघ हबीबगंज भोपाल तक दुग्ध चूर्ण एवं श्वेत मक्खन परिवहन हेतु ई-निविदा के माध्यम से दरें आमंत्रित की जाती है।

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रति भूति राशि	कार्य की समय सीमा
1	कर्नाटक मिल्क फेडरेशन मान्ड्या हसन बेलगाम कोलार <u>तमिलनाडु मिल्क फेडरेशन</u>		कार्य आदेश जारी होने के दिनांक से 2 माह तक।
2	धरमपुरी त्रिची मदुराई कोयम्बटूर ईरोड सेलम <u>महाराष्ट्र मिल्क फेडरेशन</u>	रु. 50,000/-	
3	कोल्हापुर वारणा		
4	गुजरात मिल्क फेडरेशन आंनद मेहसाना गाधीनगर बानास		

निविदा फार्म मध्यप्रदेश शासन की वेबसाइट www.mptenders.gov.in से दिनांक 12.12.2019 दोपहर 03:00 बजे तक डाउनलोड कर सकते हैं।

निविदा का विस्तृत विवरण/कार्य एवं शर्ते हमारी वेबसाइट www.mpcdf.gov.in पर देखी जा सकती है।

दुग्ध चूर्ण एवं श्वेत मक्खन की मात्रा (आवश्यकतानुसार) दर स्वीकृति उपरांत अवगत कराई जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

तकनीकी प्रपत्र—

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. निविदाकार का नाम
(पिता के नाम सहित) | ----- |
| 2. निविदाकार फर्म का नाम एवं पता | -----

----- |
| 3. कार्यालय का पता
(अ) दूरभाष / मोबाईल नम्बर
(ब) E-Mail | ----- |
| 4- निविदा के साथ जमा राशि
विवरण (ऑन लाइन जमा की गई राशि का विवरण) | ----- |
| 5. PAN No.
(छायाप्रति अपलोड करें) | ----- |
| 6. GST No.
(छायाप्रति अपलोड करें) | ----- |
| 7. यदि पार्टनरशिप फर्म है तो
(पार्टनर के नाम एवं पते अंकित करें) | ----- |

नोट :-

 घोषणा 

एतद् द्वारा मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण मेरे/हमारे पूर्ण विवेक अनुसार सत्य है, तथा वे परिणामों के सम्पूर्ण परिज्ञान के साथ प्रस्तुत किये गये हैं। मैंने/हमने संबंधित आमंत्रण पत्र, निविदा शर्तों तथा सूचीं को पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है, वे मुझे/हमें मान्य हैं।

स्थान:-

दिनांक

निविदाकार के हस्ता. एवं सील

अ निविदा शर्ते ४

- (1) निविदा प्रपत्र पूर्ण कर निविदा के साथ प्रतिभूति राशि रु. 50,000/- (रु. पचास हजार मात्र) ऑन लाइन भरी जाकर अपलोड किया जाना होगा। निश्चित समय के बाद प्राप्त निविदा एवं प्रतिभूति के बिना किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- (2) निविदा समिति द्वारा दिनांक 13.12.2019 को दोपहर 3.00 बजे समिति के समक्ष खोली जावेगी। निविदा खोलते समय निविदाकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेंगे।
- (3) निविदा स्वीकृत होने पर अमानत राशि रु. 5,00,000/- (रु. पाँच लाख मात्र) 07 दिवस मे जमा कराना होगी जो कि कार्य समाप्त होने पर पूर्ण कार्य की समीक्षा के पश्चात वापस की जावेगी, तथा इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निश्चित अवधि मे अमानत राशि जमा न करने पर प्रतिभूति राशि राजसात करते हुए उन स्थानों के लिये निविदा अन्य निविदाकार को दी जा सकेगी।
- (4) निविदाकर्ता की दर स्वीकृत होने पर न्यूनतम दर प्राप्त प्रथम निविदाकार की प्रतिभूति राशि को छोड़ कर शेष निविदाकर्ताओं की प्रतिभूति राशि वापिस हो जावेगी।
- (5) परिवहनकर्ता को परिवहन की सभी शर्ते मान्य होगी।
- (6) परिवहन दर अनुमोदन के पश्चात प्रभावशील मानी जावेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को आवश्यकतानुसार दुग्ध चूर्ण एवं श्वेत मक्खन की मात्रा को घटाने या बढ़ाने हेतु पूर्ण अधिकार रहेगा।
- (7) परिवहनकर्ता को परिवहन करने के पश्चात परिवहन का बिल भुगतान हेतु कार्यालय मे माल प्राप्ति की रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- (8) परिवहनकर्ता को जी.एस.टी. पृथक से देय होगा। जिसे देयक मे क्लेम करना होगा। अन्य टैक्स परिवहन दरों मे शामिल होगे।
- (9) परिवहनकर्ता द्वारा दुग्ध चूर्ण एवं श्वेत मक्खन पूर्ण मात्रा निश्चित समयावधि मे यदि परिवहन नहीं की जाती है तो संघ द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करने पर अधिक लगने वाली राशि की वसूली परिवहनकर्ता से की जावेगी।
- (10) परिवहनकर्ता द्वारा श्वेत मक्खन का परिवहन रेफ्रीजरेटेड वाहन मे किया जाना होगा। जिसका तापमान कम से कम -10 डिग्री सेल्सीयस होना चाहिये।
- (11) परिवहनकर्ता द्वारा दर अनुमोदन के उपरांत वाहन निर्देशानुसार नहीं भेजे जाते हैं, तो अनुबंध निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर अन्य परिवहनकर्ताओं से कार्य कराया जावेगा।

- (12) निविदाकर्ताओं को यह विदित हो कि वे निविदा दरे प्रस्तुत करते समय ध्यान रखें कि ट्रकों मे दुग्ध चूर्ण एवं श्वेत मक्खन की मात्रा, प्रदेश एवं केन्द्र सरकार के परिवहन नियमों के अन्तर्गत ही भरा जावेगा।
- (13) एक अथवा समस्त निविदा को मान्य या अमान्य करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या., भोपाल का रहेगा।
- (14) निविदाकर्ता की निविदा स्वीकृति हो जाने पर रु. 1000/- के नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सह.दुग्ध संघ मर्या., भोपाल के साथ कार्यादेश प्राप्ति से 07 दिवस मे अनुबंध निष्पादित करना होगा, जिसका प्रारूप संलग्न है।
- (15) किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में विवाद का निराकरण प्राधिकृत अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के माध्यम से किया जायेगा तथा उनके द्वारा पारित आदेश दोनों पक्षों पर बन्धनकारी रहेगा।
- (16) किसी भी वाद विवाद होने पर न्यायालयीन क्षेत्र भोपाल (म.प्र.) होगा।



४३ अनुबंध ४०

यह अनुबंध पत्र लिखवा लेने वाले मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सह. दुर्घ संघ मर्या., भोपाल (जिन्हे आगे इस अनुबंध पत्र मे प्रथम पक्ष/दुर्घ संघ कहा गया है) एवं

(जिन्हे आगे इस अनुबंध पत्र मे द्वितीय पक्ष/दुर्घ चूर्ण /श्वेत मक्खन परिवहन ठेकेदार कहा गया है) के बीच निम्न शर्तों पर, व्यवसायिक अनुबंध निष्पादित किया जा रहा है :—

- (1) ठेके की अवधि कार्य आदेश जारी करने की दिनांक से 12 माह तक रहेगी।

- (2) सामान्यतः परिवहन हेतु लगने वाले खाली वाहनों की मांग के विषय मे सूचना ठेकेदार को इस कार्यालय द्वारा दी जावेगी, परन्तु मूलतः संयंत्र की आवश्यकतानुसार परिवहन हेतु लगने वाले ट्रकों की मांग प्राप्त करना ठेकेदार का ही कर्तव्य होगा। ठेकेदार द्वारा वाहन उपलब्ध न कराने की दशा मे यदि अतिरिक्त वाहन द्वारा कार्य कराया जाता है तो ठेकेदार से अतिरिक्त परिवहन भुगतान राशि की वसूली द्वितीय पक्ष अर्थात् परिवहन ठेकेदार के देयकों से की जावेगी।
- (3) परिवहन कार्य के लिये संघ द्वारा मांग करने पर 6 घंटे मे वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। वाहन उपलब्ध न कराने की स्थिति में संघ द्वारा अपने स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था कर कार्य कराया जावेगा जिसमें होने वाले अधिक भुगतान की राशि ठेकेदार के देयक से वसूल की जावेगी।

- (4) साधारणतः संघ मे ट्रक /रेफ्रीजरेटेड वाहन खाली करने का समय कार्य दिवस मे प्रातः 9.00 से सायंकाल 5.00 बजे तक रहता है, तत् पश्चात वाहन आने पर संयंत्र परिसर मे खड़ा रहेगा।
- (5) परिवहन ठेकेदार को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
- (6) परिवहन ठेकेदार को भुगतान हेतु अपना मुद्रित देयक दो प्रतियों मे वैधानिक जानकारी उल्लेखित कर माल प्राप्ति की वैध रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- (7) नियमानुसार टैक्स का कटोत्रा देयकों से किया जावेगा, जी.एस.टी. पृथक से देय होगा, जिसे देयक मे क्लेम करना होगा।

- (8) परिवहन करते समय मार्ग मे किसी प्रकार की टूट-फूट नुकसान, दूध चूर्ण एवं श्वेत मक्खन गीला होना, कमी आदि के लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा तथा इससे संबंधित राशि उसके परिवहन देयक एवं अमानत राशि से वसूल की जावेगी।
- (9) लोडिंग/अनलोडिंग व्यय परिवहन ठेकेदार को वहन करना होगा।
- (10) परिवहन ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों का व्यवहार संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों व हम्मालों के साथ सौहादपूर्ण होना चाहिये। यदि ट्रक ड्रायवर की असावधानी से संघ की जान-माल, सम्पत्ति आदि की कोई हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
- (11) परिवहन ठेकेदार के वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध सरकारी कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी भी ठेकेदार की होगी व यदि इस बाबत् कोई हानि होगी तो राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।
- (12) उपरोक्त शर्तों के अलावा मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा उनके अधीनस्थ अन्य अधिकारी द्वारा समय समय पर जो परिवहन संबंधी सूचनाये/आदेश दिये जावेगे, उनके पालन हेतु ठेकेदार बाध्यकारी होगा।
- (13) यह कि उक्त अनुबंध प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के उत्तराधिकारियों पर समान रूप से प्रभावशील रहेगा।
- (14) स्वीकृत दरें अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेगी, जो कि अपरिवर्तनीय होगी।
- (15) उभय पक्षों मे कोई विवाद उत्पन्न होने पर प्राधिकृत अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल का निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा समस्त विवादों के प्रसंग मे न्यायिक क्षेत्र भोपाल होगा।
- (16) अनुबंध की शर्तों मे परिस्थितिवश परिवर्तन या शिथिल करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सह.दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को होगा।

इस अनुबंध पर आज दिनांक को उभय पक्षो मे आपसी सहमति के आधार पर भोपाल सह.दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के कार्यालय मे हस्ताक्षर किये है, निविदाकार का इकरार नामा दिनांक ----- से ----- तक की अवधि मे प्रभावशील रहेगा ।

हस्ताक्षर

()

हस्ताक्षर

()

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

परिवहनकर्ता ठेकेदार

भोपाल सह.दुग्ध संघ, भोपाल

❖ गवाह ❖

(1) हस्ताक्षर

(2) हस्ताक्षर

नाम _____

नाम _____

पिता _____

पिता _____

पता _____

पता _____

× × ×

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

दरें केवल ऑनलाइन भरी जावेगी।

क्रमांक	कार्य का नाम	दुग्ध चूर्ण हेतु दर (प्रति मेंटन)	श्वेत मक्खन हेतु दर (प्रति मेंटन)
1	<u>कर्नाटक मिल्क फेडरेशन</u> मान्डया हसन बेलगाम कोलार <u>तमिलनाडु मिल्क फेडरेशन</u>		
2	धरमपुरी त्रिची मदुराई कोयम्बटूर ईरोड़ सेल्म <u>महाराष्ट्र मिल्क फेडरेशन</u>		
3	कोल्हापुर वारणा		
4	<u>गुजरात मिल्क फेडरेशन</u> आंनद मेहसाना गाधीनगर बानास		

(जी.एस.टी. पृथक से)

1 परिवहन दर में अन्य टैक्स सामिल होंगे।

2 सामग्री की लोडिंग व अनलोडिंग व्यय परिवहनकर्ता द्वारा वहन की जावेंगी।

निविदाकार के हस्ता. एवं सील